



जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में विभिन्न सेक्टर अंतर्गत कौशल
विकास प्रशिक्षण का संचालन करने हेतु

**रुचि की अभिव्यक्ति
(Expression of Interest)**

छत्तीसगढ़- 494449

ई-मेल: livelihoodcollege@gmail.com, वेबसाईट: www.dantewada.gov.in

संपर्क क्रमांक: 07225836876

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि: 16/05/2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक

प्रस्ताव खोलने की तिथि: 16/05/2018 अपरान्ह 04:00 बजे तक



छत्तीसगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
Chhattisgarh Livelihood College Society

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा
जिला- दन्तेवाड़ा (छ0ग0)
कलेक्ट्रेट के पीछे, टेकनार चौक से पश्चिम की ओर, दन्तेवाड़ा
ई-मेल: livelihoodcollege@gmail.com, मोबाईल :- 07225836876

क्रं./8028/जि0परि0ला0कॉ0/रू0की0अभि0/प्रशि0/2018-19

दन्तेवाड़ा, दिनांक 18/04/2018

रूचि की अभिव्यक्ति

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0), प्रतिष्ठित एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में “ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, बम्बू, फूड प्रोसेसिंग एवं हैण्डीक्राफ्ट सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु” रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इच्छुक एजेंसी/संस्था/सोसायटी अधिक जानकारी हेतु जिला दन्तेवाड़ा के शासकीय वेबसाईट www.dantewada.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि:-

16/05/2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक

रूचि की अभिव्यक्ति खोलने एवं प्रदर्शन की तिथि:-

16/05/2018 अपरान्ह 04:00 बजे

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0



छत्तीसगढ़ लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
Chhattisgarh Livelihood College Society

जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा

जिला- दन्तेवाड़ा (छ0ग0)

कलेक्ट्रेट के पीछे, टेकनार चौक से पश्चिम की ओर, दन्तेवाड़ा

ई-मेल: livelihoodcollege@gmail.com, मोबाईल :- 07225836876

रुचि की अभिव्यक्ति

कार्यालय जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ0ग0), प्रतिष्ठित एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि द्वारा जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में “ऑटोमोटिव, लॉजिस्टक, एग्रीकल्चर, बम्बू, एवं हैण्डीक्राफ्ट, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु” सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

प्रशिक्षण कार्य अंतर्गत चयनित हितग्राहियों को छ0ग0 राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्धारित एम0ई0एस0 पाठ्यक्रम में उपरोक्तानुसार सेक्टर अंतर्गत जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में नवीन तकनीकों का उपयोग कर गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण प्रदाय किया जाना है। प्रशिक्षण हेतु आवश्यक पाठ्य एवं अन्य सामग्री संबंधित संस्था के द्वारा प्रदाय किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु निर्देश एवं पाठ्य सामग्री का माध्यम हिन्दी होना चाहिए। सेक्टर एवं कोर्स का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	सेक्टर का नाम	कोर्स का नाम
01	ऑटोमोटिव	1. Automotive Service Technician Level 3 2. Taxi Driver 3. Sales Consultant Level 4
02	लॉजिस्टक	1. Warehouse Supervisor
03	एग्रीकल्चर	1. Beekeeper 2. Gardener 3. Banana Farmer 4. Floriculturist-Open Cultivation
04	बम्बू	1. Bamboo Craft
05	हैण्डीक्राफ्ट	1. Hand Rolled Agarbatti Maker 2. Bamboo Basket Maker 3. Stamping operator
06	फूड प्रोसेसिंग	1. Pickle Making Technician

प्रस्ताव जमा करने हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण/संस्थान/फर्म्स आदि को बंद लिफाफा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।
2. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि के द्वारा प्रस्ताव एवं वित्तीय दर अलग-अलग बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।
3. लिफाफा “अ” में प्रस्ताव/आवश्यक दस्तावेज एवं लिफाफा “ब” में वित्तीय दर प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा “अ” और “ब” को बंदकर लिफाफा “स” में प्रस्तुत करना होगा।
4. लिफाफा “अ” में प्रस्ताव प्रस्तुत/दस्तावेज रूचि की अभिव्यक्ति में दर्शित नियमों एवं शर्तों के अनुरूप होने पर प्रस्ताव “ब” खोला जाएगा।
5. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि जिले की प्रशिक्षण प्रदायकर्ता इकाई होनी चाहिए। (आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें)। जिले की इकाईयों से आवेदन प्राप्त न होने की स्थिति में अन्य इकाईयों को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. प्रशिक्षणार्थियों का पंजीयन आवश्यकतानुसार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत व मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनान्तर्गत पोर्टल में इंद्राज करना अनिवार्य है।
7. प्रशिक्षणार्थियों के मोबीलाइजेशन की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि की होगी।
8. प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति यथासंभव बायोमैट्रिक डिवाइस द्वारा किया जाना अनिवार्य है एवं इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि की होगी।
9. प्रशिक्षण उपरांत संस्था के द्वारा न्यूनतम 70% प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
10. “ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक, एग्रीकल्चर, बम्बू, हैण्डिक्राफ्ट एवं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु” सेक्टर अंतर्गत प्रशिक्षण संचालित करने हेतु एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि को निर्धारित औजार/उपकरण, लाईवलीहुड कॉलेज के द्वारा प्रदाय किया जाएगा।
11. संबंधित सेक्टर में प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु प्रशिक्षक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत निर्धारित मापदण्ड अनुसार होनी चाहिए।

12. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि के द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत के क्षेत्र में किए गए पूर्व में कार्य संबंधी अनुभव हेतु कार्यदेश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

13. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स के पास PAN/TIN/CGGST/CST पंजीकरण संख्या होना चाहिए।

14. सभी कर सम्मिलित कर के प्रति प्रशिक्षणार्थी आधारित दर प्रस्तुत करना होगा, प्रस्ताव में उल्लेखित दर के अतिरिक्त परिवहन या अन्य कोई स्वत्व देय नहीं होगा।

15. प्रत्येक सेक्टर के लिए अलग-अलग प्रस्तावित दर के आधार पर अलग-अलग एजेंसी का चयन किया जा सकेगा। निम्नानुसार सेक्टरवार दर प्रस्तुत करना अनिवार्य है

क्रं.	सेक्टर का नाम	कोर्स का नाम	प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति घण्टा दर
01	ऑटोमोटिव	1. Automotive Service Technician Level 3 2. Taxi Driver 3. Sales Consultant Level 4	
02	लॉजिस्टिक	1. Warehouse Supervisor	
03	एग्रीकल्चर	1. Beekeeper 2. Gardener 3. Banana Farmer 4. Floriculturist-Open Cultivation	
04	बम्बू	1. Bamboo Craft	
05	हैण्डीक्राफ्ट	1. Hand Rolled Agarbatti Maker 2. Bamboo Basket Maker 3. Stamping operator	
06	फूड प्रोसेसिंग	1. Pickle Making Technician	

16. एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि के द्वारा प्रस्तुत दर को गठित समिति के द्वारा नेगोशिएसन किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु कार्यदेश दिया जावेगा।

17. प्रशिक्षण के विरूद्ध भुगतान प्रधामंत्री कौशल विकास योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत नेगोशिएसटैड दर पर किया जावेगा।

18. प्रस्ताव जमा करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 16/05/2018 अपरान्ह 12:00 बजे तक एवं अपरान्ह 04:00 बजे प्रस्ताव लिफाफे गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी जिसमें संस्था स्वयं/प्रतिनिध उपस्थित रह सकते हैं।
19. चयन प्रक्रिया की किसी भी स्तर पर प्रस्ताव को किसी भी कारण से स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा को होगा।
20. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह-अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

एजेंसी/संस्था/सोसायटी/प्रशिक्षण संस्थान/फर्म्स आदि अपनी रूचि की अभिव्यक्ति की सूचना विस्तृत प्रस्ताव, पूर्व अनुभव के दस्तावेज, प्रशिक्षकों की जानकारी, विस्तृत क्रियान्वयन योजना आदि स्पीड/रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 16/05/ 2018 तक कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी, कलेक्ट्रेट के पीछे, टेकनार चौक से पश्चिम की ओर, पो- दन्तेवाड़ा जिला- दन्तेवाड़ा (छ0ग0) पिन- 494449 में जमा कर सकते हैं। लिफाफे में “जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी दन्तेवाड़ा में प्रशिक्षण प्रदाय करने हेतु प्रस्ताव” उल्लेख होना आवश्यक है।

कलेक्टर सह अध्यक्ष
जिला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज सोसायटी
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा छ0ग0